

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
Central Board of Excise and Customs

Corrigendum

New Delhi, the 28th November, 2017

G.S.R. (E).- In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 100/2017-Customs(N.T.), dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1347(E), dated the 30th October, 2017,-

- (i) at page-2, in line 15 “Unloading of imported goods and” shall be deleted.

[F.No.434/13/2015-Cus-IV]

(Zubair Riaz)
Director(Customs)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
शुद्धिपत्र

नयी दिल्ली, दिनांक 28 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) .- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 100/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1347 (ई), दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में-

(i) पेज 2 पर, पंक्ति 15 में "आयातित माल की उतराई" शब्दों को निरसित किया जाएगा।

[फा० सं० 434/13/2015- सीमाशुल्क IV]

(जुबेर रियाज)
निदेशक (सीमाशुल्क)